आगरा नगर निगम

फोन : 0562-2850670/2520616
फैक्स : 0562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com
amcagra1@gmail.com

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मै. भारतीय एयरटेल लि.,
एयरटेल टावर, 12 रानी लक्ष्मी बाई मार्ग,
हजरतगंज, लखनऊ

पत्रांक : 134/D/CE/16 दिनांक : 15/7/16

विषय : थाना शाहगंज रघुवीर कुंज टावर वाया पुष्पांजली धाम तक (950 मी.) व एस.आर. के. माल एन.एच.–2 से दीवानी चौराहे वाया रघुवीरकुंज भदावर हाउस तक (1100 मी.) (कुल 2050 मी. पक्का) में भूमिगत ओ.एफ.सी. केबिल डालने हेतु रोड कटिंग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र दिनांक 05.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपरोक्त स्थलों पर भूमिगत ओ.एफ.सी. केबिल डाले जाने हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा पूर्व पत्र संख्या 99/डी/सी.ई./16, दिनांक 20.06.2016 के द्वारा भेजी गयी डिमाण्ड धनांक रु. 6,03,848.00 डी.डी. संख्या 093089, दिनांक 04.07.2016 के द्वारा जमा कराते हुए रोड कटिंग की अनुमति चाही गयी है।

अतः आपके पत्र के साथ संलग्न मानचित्रों में दर्शाये गये उपरोक्त मार्गों (कुल 2050.00 मी. पक्का) पर रोड़ कटिंग किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1. कार्य कराने में ट्रेन्चलेस तकनीक को अपनाया जायेगा।
2. पाईप लाईन/केबिल कम से कम 1.50 मी. गहराई में बिछाया/डाला जायेगा।
3. भीड़–भाड़ एवं बाजार के इलाकों को प्रस्तावित जुलूस एवं अन्य धार्मिक आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए रोड कटिंग का कार्य किया जाये ताकि उक्त आयोजनों पर मार्ग बाधित व क्षतिग्रस्त न हो।
4. कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया जायेगा जो यातायात में बाधा उत्पन्न करें।
5. ओ.एफ.सी. केबिल किसी भी पुलिया/नाला, नाली, मैनहोल के बीच में इस प्रकार नहीं डाला जायेगा, जिससे बहाव अवरुद्ध हो।
6. उपरोक्त अनुमति–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये रूट चार्ट के अनुसार ही रोड कटिंग की जाए अन्यथा अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
7. बैरिकेटिंग एवं कॉशन बोर्ड (चेतावनी बोर्ड) की समुचित व्यवस्था इस प्रकार से स्वयं करनी होगी ताकि कोई दुर्घटना न हो।
8. स्थल पर कटिंग करते समय हस्ताक्षरित साइट प्लान एवं अनुमति की प्रति रखी जाये ताकि मांगे जाने पर दिखायी जा सके। इसका अनुपालन न करने पर रोड कटिंग अवैध मानी जायेगी।
9. यदि कटिंग के दौरान भूमि के बीच अथवा ऊपर कोई पाईप लाईन/सीवर लाईन टेलीफोन लाईन आदि सम्बन्धित सेवाओं को क्षति पहुँचाती है, तो उसके रेस्टोरेशन की जिम्मेदारी आपके संस्थान की होगी। जिस स्थल पर रोड कटिंग की जानी हो या ट्रैंच खोदी जानी हो, उससे एक दिन पूर्व इन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर इसकी जानकारी दे दी जाए, ताकि इन लाईनों को क्षतिग्रस्त होने से बचया जा सके।

क्रमशः– .... 2 पर

10. पेयजल सम्बन्धी लाईन/सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसकी मरम्मत स्वयं फर्म द्वारा तत्काल करानी पड़ेगी।
11. पिट्स का कार्य हो जाने के तुरन्त बाद उसे रिपेयर करते हुए भरना होगा।
12. कार्य स्थल पर किसी भी स्थिति में घटना एवं दुर्घटना होने की दशा में आपकी संस्थान जिम्मेदार होगी।
13. निगम द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों पर अमल आप द्वारा समयान्तर्गत किया जायेगा।
14. वर्षा ऋतु काल में कोई भी रोड कटिंग का कार्य अनुमन्य नहीं होगा।
15. रोड कटिंग अनुमति दिनांक 15.07.2016 से दिनांक 14.10.2016 तक मान्य होगी। इसके उपरान्त नियामनुसार समयावृद्धि हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
16. कार्य कराने से एक दिन पूर्व एस.पी. (ट्रैफिक) को सूचित करने का दायित्व आपका होगा।
17. क्रम संख्या 1 से 17 तक की शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में जारी की गयी अनुमति स्वतः ही अवैध मानी जायेगी या निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि :–

1. मा. महापौर महोदय को सूचनार्थ।
2. मा. महापौर महोदय को सूचनार्थ।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा को सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) को सूचनार्थ।
5. नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।
6. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग को सूचनार्थ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ।
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ।
9. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सम्बन्धित क्षेत्रीय मा. पार्षद को सूचनार्थ।
13. मण्डल अभियनता, बी.एस.एन.एल. लि., आगरा को सूचनार्थ।
14. आफीसर इन्चार्ज ग्रीन गैस लि., प्रथम तल 7 ओल्ड विजय नगर, आगरा को सूचनार्थ।
15. प्रबन्धक, मै. वोडाफोन प्रा. लि., फतेहाबाद रोड, आगरा।

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा

15/7/16

16/07/16

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018
Smart City
अमृत Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

आगरा नगर निगम

फोन : 0562-2850670/2520616
फैक्स : 0562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com
amcagra1@gmail.com

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
मै. रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0,
प्रथम तल, ए–विंग, क्रॉस रोड मॉल,
प्लाट नं0 5 व 6, कारगिल पेट्रोल पम्प के पास,
सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा।

पत्रांक : 41/D/R.C/18 दिनांक : 10/04/18

विषय : रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 द्वारा ओ0एफ0सी0 (केबिल डक्ट) डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में स्वकीय पत्र दिनांक 02.04.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गौरव हार्डवेयर सेन्टर देवरी रोड से देव हास्पीटल ग्वालियर रोड से होते हुए कोटली बगीची विशाल दुग्ध भण्डार, नगला जस्सा, नगला भजेरा, नगला परसोती, सरवन नगर, अरुण गॉर्डन, बघेल दुग्ध भण्डार, मंदिर वाली गली, राजकुमार स्टोर, अर्बन प्राईमरी हैल्थ सेन्टर प्रकाश विहार, डिफेंस पैलेस से होते हुए सरवन नगर से आनन्द जी होण्डा सर्विस सेंटर से देव हास्पीटल तक (2300 मी0) ओ0एफ0सी0 (केबिल डक्ट) डाले जाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति चाही गयी है। उक्त के सम्बन्ध में रोड कटिंग पर आने वाले व्यय धनराशि रु. 649400/– के सापेक्ष शासनादेश संख्या 72/नौ–9–2018–161ज./12, दिनांक 08.02.2018 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु कम्पनी को पुनर्स्थापना कार्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धिारित किये जाने वाले व्यय के बराबर बैंक गारण्टी नगर निगम में जमा करायी गयी है, जिसके क्रम में नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 07.01.2018 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। **चूंकि शासनादेश संख्या 286/नौ–9–2014–161ज./2012, दिनांक 11.03.2014 के बिन्दु संख्या–13 के अनुसार कम्पनी द्वारा एच.डी.डी. तकनीकी से की गई कटिंग को कार्य पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टे में गुणवत्तापरक पुनर्स्थापना, निकाय की सन्तुष्टि और विशिष्टिताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। नियत अवधि में अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय पुर्नस्थापना व्यय दण्ड सहित वसूल करेगा और पुनर्स्थापना कार्य करायेगा।**

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा वांछित अनुमति शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है। कृपया कार्य होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में मानकों के अनुरूप रेस्टोरेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करायें, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में व्यवधान न हो और निगम को किसी प्रकार की शिकायत जनप्रतिनिधियों से प्राप्त न हो :–

1. पुरातत्व विभाग के स्मारकों की परिधि में कटिंग हेतु यह अनुमति मान्य नहीं होगी।

क्रमशः :– .... 2 पर

आगरा नगर निगम
फोन : 0562-2850670/2520616
फैक्स : 0562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com
amcagra1@gmail.com

2. कार्य कराने में यथासम्भव ट्रेन्चलेस तकनीक को अपनाया जाये। ट्रेन्चलेस टैक्नोलॉजी से जो कार्य सम्भव है, उसे इसी विधि द्वारा कराया जायेगा।
3. केबिल कम से कम 1.50 मी. गहराई में बिछाया/डाला जायेगा।
4. कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया जायेगा जो यातायात में बाधा उत्पन्न करें।
5. विद्युत लाईन किसी भी पुलिया/नाला, नाली, मैनहोल के बीच में इस प्रकार नहीं डाला जायेगा, जिससे बहाव अवरुद्ध हो।
6. इस अनुमति–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये नगर निगम सीमान्तर्गत रूट चार्ट के अनुसार ही रोड कटिंक की जाये अन्यथा अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. बैरिकेटिंग एवं कॉशन बोर्ड (चेतावनी बोर्ड) की समुचित व्यवस्था स्वयं करानी होगी।
8. कार्य स्थल पर किसी भी स्थिति में घटना एवं दुर्घटना होने की दशा में आपकी संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
9. यदि कटिंग के दौरान भूमि के बीच अथवा ऊपर कोई पाईप लाईन/सीवर लाईन टेलीफोन लाईन आदि सम्बन्धित सेवाओं को क्षति पहुँचाती है, तो उसके रेस्टोरेशन की जिम्मेदारी आपके संस्थान की होगी। जिस स्थल पर रोड कटिंग की जानी हो या ट्रैंच खोदी जानी हो, उससे एक दिन पूर्व इन विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष पर इसकी जानकारी दे दी जाए, ताकि इन लाईनों को क्षतिग्रस्त होने से बचया जा सके।
10. भीड़–भाड़ एवं बाजार के इलाकों को प्रस्तावित जुलूस एवं अन्य धार्मिक आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए रोड कटिंग का कार्य किया जाये ताकि उक्त आयोजनों पर मार्ग बाधित व क्षतिग्रस्त न हो।
11. स्थल पर कटिंग करते समय हस्ताक्षरित साइट प्लान एवं अनुमति की प्रति रखी जाये ताकि मांगे जाने पर दिखायी जा सके। इसका अनुपालन न करने पर रोड कटिंग अवैध मानी जायेगी।
12. पेयजल सम्बन्धी लाईन/सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसकी मरम्मत स्वयं फर्म द्वारा तत्काल करानी पड़ी।
13. स्थल पर कार्य करते समय हस्ताक्षरित साइट प्लान एवं अनुमति की प्रति रखी जाये, ताकि मांगे जाने पर तत्काल दिखायी जा सके। इसका अनुपालन न करने पर रोड कटिंग अवैध मानी जायेगी।
14. जिस प्रकृति की सड़क काटी जायेगी, मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य भी उसी प्रकृति का गुणवत्ता पूर्वक करना होगा। मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा तथा नगर निगम के क्षेत्रीय अवर अभियन्ता को स्थल निरीक्षण कराकर कराये गये रेस्टोरेशन कार्य की लिखित में पुष्टि करायेंगे।
15. मरम्मत/पुर्नस्थापना की गयी सड़क का दो बरसात मौसम तक अनुरक्षण आपके द्वारा ही किया जायेगा।
16. मरम्मत/पुर्नस्थापना के कार्य की सूचना समय–समय पर नगर निगम को देंगे, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गठित कमेटी निरक्षण कर सके। यदि निरीक्षण में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित सड़क की मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है, तो उसका रेस्टोरेशन चार्ज नगर निगम में जमा करना होगा।
17. निगम द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों पर अमल आप द्वारा समयान्तर्गत किया जायेगा।
18. शासनादेश संख्या 72/नौ–9–2018–161ज./12, दिनांक 08.02.2018 व 286/नौ–9–2014–161ज./2012, दिनांक 11.03.2014 का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

क्रमशः— .... 3 पर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018
Smart City
अमृत
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation
आगरा नगर निगम
फोन : 0562-2850670/2520616
फैक्स : 0562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com
amcagra1@gmail.com

19. उक्त अनुमति दिनांक 11.04.2018 कार्य समाप्ति दिनांक 10.07.2018 के लिये मान्य होगी। रोड कटिंग के उपरान्त रोड की पुर्नस्थापना 72 घण्टे के अन्दर व कार्य पूर्ण करना होगा। मरम्मतर/पुर्नस्थापना का कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार पूर्ण करना होगा। उक्त अवधि में कार्य समाप्त होने के पश्चात् यदि मरम्मत/पुर्नस्थापना का कार्य आपके द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो आपके द्वारा विभाग में जमा करायी गयी बैंक गारण्टी प्रतिसंहरण कर ली जायेगी।
20. वर्षा ऋतु काल में कोई भी रोड कटिंग का कार्य अनुमन्य नहीं होगा।
21. शासन/प्रशासन/नगर निगम प्रशासन द्वारा यदि भविष्य में रोड वाइडनिंग करायी जाती है, तो सम्बन्धित केबिल आपके द्वारा तदानुसार शिफ्ट करनी होगी। इसकी अनुमति पुनः सम्बन्धित कम्पनी के द्वारा प्राप्त की जायेगी। कम्पलीशन के बाद आपके द्वारा डाली गयी केबिल का कम्पलीशन प्लान भी प्रस्तुत करना होगा।
22. शहर के अन्य विभाग के स्वामित्व वाले मार्गो पर रोड कटिंग हेतु सम्बन्धित विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
23. कार्य कराने से एक दिन पूर्व एस.पी. (ट्रैफिक) को सूचित करने का दायित्व आपका होगा।
24. क्रम संख्या 1 से 24 तक की शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में जारी की गयी अनुमति स्वतः ही अवैध मानी जायेगी या निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि :–

1. मा. महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।
3. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) आगरा को सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) को सूचनार्थ।
5. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग को सूचनार्थ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ।
8. मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सम्बन्धित क्षेत्रीय मा. पार्षद को सूचनार्थ।
12. मण्डल अभियनता, बी.एस.एन.एल. लि., आगरा को सूचनार्थ।
13. आफीसर इन्चार्ज ग्रीन गैस लि., प्रथम तल 7 ओल्ड विजय नगर, आगरा को सूचनार्थ।
14. प्रबन्धक, मै. वोडाफोन प्रा. लि., फतेहाबाद रोड, आगरा।
15. प्रबन्धक, एयरटेल भारती लि., विजय नगर मंदिर के सामने, आगरा को सूचनार्थ।
16. प्रबन्धक, गेल इण्डिया को सूचनार्थ।

मुख्य अभियन्ता,
नगर निगम, आगरा